इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 385] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 10 जुलाई 2018—आषाढ़ 19, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2018

क्र. 11331-228-इक्कीस-अ-(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 5 जुलाई 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रजनी पंचौली, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् २०१८

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम , २०१८

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

दिनांक 5 जुलाई, 2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 10 जुलाई 2018 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०१८ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ७५ का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा ७५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

खण्ड के भीतर संपत्ति के अन्तरण पर शुल्क.

"७५. (१) उन लिखतों पर, जो खण्ड के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के विक्रय या दान से संबंधित हों, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का सं. २) के अधीन अधिरोपित शुल्क में, ऐसी संपत्ति के मूल्य पर एक प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा सामान्यतः या विभिन्न प्रकरणों या प्रकरणों के वर्ग के लिए विशेषतः इस निमित्त जारी की गई अधिसूचना द्वारा वृद्धि की जाएगी:

परन्तु विक्रय या दान की किसी ऐसी लिखत के संबंध में, जिसे भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है, कोई अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत नहीं किया जाएगा.

(२) उन लिखतों पर, जो खण्ड के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के बंधक से संबंधित हों, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का सं. २) के अधीन अधिरोपित शुल्क में, उस रकम पर जो बंधक की लिखत द्वारा प्रतिभूत की गई है, एक प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी:

परन्तु बंधक के संबंध में उद्ग्रहीत किया गया ऐसा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उस पर लगाए गए स्टाम्प शुल्क की रकम से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि बंधक की ऐसी लिखत के संबंध में, जिसे भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है, कोई अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा.".

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2018

क्र. 11331-228-इक्कीस-अ(प्रा.) अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 14 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनी पंचौली, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 14 OF 2018

THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT RAJ AVAM GRAM SWARAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2018

[Received the assent of the Governor on the 5th July, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 10th July, 2018.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-ninth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1.(1) This Act may be called the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Substitution of section 75.

2. For section 75 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the following section shall be substituted, namely:-

Duty on transfer of property within block.

"75.(1) The duty imposed under the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) on instrument relating to sale or gift of immovable property situated within the block be increased by the notification issued in this behalf by the State Government generally, or specially for various cases or class of cases, subject to maximum limit of one percent on the value of such property:

Provided that no extra stamp duty is leviable in respect of any instrument of sale or gift exempted from stamp duty under the Indian Stamp Act, 1899 or the rules made thereunder.

(2) The duty imposed under the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) on instrument relating to mortgage of immovable property situated within the block be increased by one percent on the amount secured by the instrument of mortgage:

Provided that such extra stamp duty levied in respect of mortgage shall not exceed the amount of stamp duty thereon:

Provided further that no extra stamp duty is leviable in respect of any instrument of mortgage exempted from stamp duty under the Indian Stamp Act, 1899 or the rules made thereunder.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.